

Reference No.

/SIDC/

Dated

:- कार्यालय आदेश :-

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के संचालक मण्डल की दिनांक 17.01.2019 को सम्पन्न हुई 31वाँ बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि प्राधिकरण के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों की विकास योजनाओं में औद्योगिक भू-उपयोगों हेतु आरक्षित भूखण्डों के आवंटन के पुनर्जीवीकरण की वर्तमान नीति के प्रावधान संस्थागत तथा गुप हाउसिंग भू-उपयोगों हेतु आरक्षित भूखण्डों के पुनर्जीवीकरण में यथावत इस शर्त के साथ लागू होंगे कि क्षेत्रीय विकास योजनाओं में संस्थागत तथा गुप हाउसिंग भू-उपयोगों हेतु आरक्षित भूखण्डों के पुनर्जीवीकरण हेतु पुनर्जीवीकरण शुल्क की गणना औद्योगिक भूखण्डों हेतु प्रचलित नीति में निर्धारित दरों पर की जाएगी तथा गणना हेतु भूमि की प्रीमियम दर क्षेत्र में लागू संस्थागत भूखण्डों की प्रचलित दर तथा गुप हाउसिंग भूखण्डों हेतु क्षेत्र में गुप हाउसिंग भूखण्डों की प्रचलित न्यूनतम बिडिंग प्रीमियम दर लागू होगी।

सभी प्रकार के भू-उपयोगों हेतु आवंटित भूखण्डों के पुनर्जीवीकरण के समस्त प्रकरण क्षेत्रीय प्रबन्धकों/परियोजना अधिकारी द्वारा स्पष्ट प्रस्ताव तथा संस्तुति सहित मुख्यालय सन्दर्भित किये जाएंगे जिन पर सक्षम अधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(राजेश कुमार सिंह)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संख्या 2582-54 / एसआईडीसी-आईए- पालिसी वाल्यूम-17 दि० ०९-२-१९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
2. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, (औ० क्षे० अनुभाग), उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।

(राजेश कुमार सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी